© अवस्थांतर के दिशा निर्देश : कुछ मौलिक तथ्य!

- जिस वर्ष में छात्र की उम्र १४ वर्ष की हो, न्यू जर्सी में अवस्थांतर की आयोजना उस स्कूल वर्ष में होनी चाहिए। आइ.ई.पी (IEP) में निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए : छात्र के गुण एवं क्षमता, रुचि और पसंद, पाठ्यक्रम का चुनाव और इस से संबंधित कार्य नीति/गतिविधियाँ जो छात्र की क्षमता, रुचि और पसंद के साथ अनुकूल हो और साथ ही छात्र को माध्यमिक शिक्षा उपरांत लक्ष्यों (जैसे प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, रोजगार और यदि संभव हो तो स्वतंत्र जीवन जीने के साधन) से संबंधित हो।

- अवस्थांतर की प्रत्येक बैठक में छात्र को निमंत्रित किया जाना चाहिए । इन बैठकों में भाग लेना अथवा न लेना, छात्र के लिये वैकल्पिक होना चाहिए...

- १४ वर्षीय छात्रों के लिये आइ.ई.पी में उन राज्य एवं स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश होना चाहिए जो कि छात्र की शिक्षा पूर्ति के लिये अनिवार्य हैं। यदि इन आवश्यकताओं से छात्र को छूट दी जाती है या राज्य एवं स्थानीय स्कूलों में आवश्यकताओं में संशोधन होता है, तो आइ.ई.पी को इस छूट या संशोधन का तर्क प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उन वैकल्पिक प्रवीणताओं का विवरण भी दिया जाना चाहिए जो कि राज्य द्वारा समर्थित डिप्लोमा पाने में सहायक होगा।

- १६ वर्षीय छात्रों के लिये आयु उपयुक्त अवस्थांतरण के मूल्यांकन पर आधारित माध्यमिक शिक्षा उपरांत परिमेय लक्ष्यों का समावेश आइ.ई.पी में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयु उपयुक्त अवस्थांतरण सेवाओं को परिणाम उन्मुख प्रक्रिया द्वारा बनाया जाना चाहिए जिससे छात्र का स्कूल से स्कूल के बाद की गतिविधियों में संचालन आसानी से हो सके। स्कूल के बाद की गतिविधियों का अर्थ उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संघटित रोजगार, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वतंत्र जीवनयापन एवं सामुयिक भागेदारी से लगाना चाहिए।

- १८ वर्ष की उम्र से तीन वर्ष पूर्व आइ.ई.पी दल के सदस्यों को छात्रों से मिलकर उनके वयस्क होने तथा वयस्कों के अधिकार के विषय में जानकारी देनी चाहिए । अगर माता-पिता अभिभावकता का दावा नहीं करें तो १८ वर्ष की उम्र होते ही छात्र स्वाभाविक निर्णयकर्ता बन जाता/जाती है । जो माता-पिता अभिभावकता का दावा करने के इच्छुक हों, उन्हे, इसी समय से प्रक्रिया जारी कर देनी चाहिए ।

- व्यावसायिक पुनर्वास सेवा प्रभाग -डिविज़न ऑफ़ वोकेशनल रीहैबिलिटेशन (Division of vocational rehabilitation) डी. वी. आर. एस (D.V.R.S.) छात्रों को १४ वर्ष की उम्र से परामर्श देना प्रारंभ करता है । स्कूल उतीर्ण करने के २ वर्ष पूर्व ही डी. वी. आर. एस से संपर्क करके सेवाओं की पात्रता जान लेनी चाहिए । जिन छात्रों को एस.एस.आइ (SSI) अथवा एस.एस.डी.आइ (SSDI) की सेवाएं प्राप्त हैं, वे छात्र स्वचालित रूप से डी. वी. आर. एस के पात्र हैं। हाइस्कूल उतीर्ण करने से पूर्व ही वैयक्तिक रोज़गार योजना- इंडिविज्युअल एमप्लॉयमेंट प्लॅन (Individual Plan for Employment Plan) आइ.पी.ई (I.P.E.) बना लेनी चाहिए ।

- छात्र के १४ वर्ष की उम्र या उस से पूर्व ही आइ.ई.पी दल को यथा उपयुक्त, अन्य संस्थाओं [अंधे और नेत्रहीनों के लिए आयोग (Commission for the Blind and Visually Impaired), मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभाग (Division of Mental Health Services)], से परामर्श लेनी चाहिए।

वे परिवार जिनमें बच्चे विकासात्मक असमर्थता प्रभाग(Division of Developmental Disabilities) डी.डी.डी. (D.D.D.) के पात्र हैं, उन्हें अपनी पात्रता जन्म से ही निर्धारित करनी चाहिए। ऐसे परिवार डी. वी. आर. एस से पूर्व ही डी.डी.डी. से वयस्क जीवित समर्थन हेतु संपर्क बना सकते हैं। ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे के निर्णय से प्रभावित हुए बिना पात्रता निर्धारित

करती हैं। युनिफ़ोर्म एप्लिकेशन एक्ट (Uniform Application Act) के अन्तर्गत जो छात्र डी.डी.डी. से सेवाएं प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को उन छात्रों के माता-पिता को ऐसी सेवाओं के आवेदन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करनी चाहिए। उपयुक्त पाए जाने पर, डी.डी.डी. छात्र का नाम स्कूल से स्नातक होने के ५ वर्ष पूर्व ही दिवसीय कार्यक्रम की प्रतीक्षा सूची में रख सकती है। प्रायः डी.डी.डी की वयस्क सेवाएं (दिवसीय कार्यक्रम, आवासीय, वास्तविक जीवन के विकल्प इत्यादि) छात्र के २१ वर्ष होने तथा लोक शिक्षा पूर्ण होने तक आरंभ नहीं होती हैं।

- माध्यमिक शिक्षा उपरांत संसाधनों के हेतु एवं उपयुक्त संसाधनों को निर्दिष्ट करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए ।

- स्कूल उत्तीर्ण करने के पूर्व ही अवस्थांतर के सभी घटकों की पूर्ति होनी चाहिए। केवल क्रेडिट पूरे होने पर अवस्थांतर के सभी घटकों की स्वचालित पूर्ति नहीं होती है।
- २००८ में पारित अलीशा कानून के अंतर्गत (Alicia Law, 2008) छात्रों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे मित्रों के साथ स्नातक समारोह में भाग लेते हुए भी शिक्षा जारी रखने के पात्र हैं ।

- स्कूल से स्नातक होते समय, छात्र को उसके शैक्षणिक उपलब्धि एवं कार्यात्मक प्रदर्शन का लिखित सारांश स्नातक होने के दिवस से पहले ही दिया जाना चाहिए। इस सारांश में माध्यमिक शिक्षा उपरांत लक्ष्यों को पूर्ण करने के सुझाव सम्मिलित होने चाहिए ।
- अवस्थांतर की योजना बनाने का दायित्व मामला प्रबंधक का है !